प्रेस विज्ञप्ति

27.02.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), **2002** के प्रावधानों के तहत **26.02.2026** को अंतरिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें इंदरजीत सिंह यादव और अन्य के मामले में **90.04** करोड़ रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति कुर्क की गई है। अंतरिम कुर्क की गई संपत्तियों में इंदरजीत सिंह यादव और उनकी पत्नी रीना कुमारी के स्वामित्व वाले विभिन्न प्लॉट/जमीन, आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियां शामिल हैं।

ईडी ने हरियाणा पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा इंदरजीत सिंह यादव और उसके सहयोगियों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम, **1959**, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), **2023** और भारतीय दंड संहिता, **1860** के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज की गई **15** से अधिक एफआईआर और दाखिल किए गए आरोप पत्रों के आधार पर जांच शुरू की। उक्त एफआईआर में यह आरोप लगाया गया है कि मेसर्स जेम रिकॉर्ड्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ('जेम्स ट्यून्स' के रूप में संचालित) के मालिक और प्रमुख नियंत्रक इंदरजीत सिंह यादव हत्या, जबरन वसूली, निजी वित्तदाताओं द्वारा दिए गए ऋणों के जबरन निपटान, धोखाधड़ी, अवैध भूमि हड़पने और हिंसक अपराधों जैसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल एक जाना-माना बाहुबली है। इंदरजीत सिंह यादव हरियाणा पुलिस के विभिन्न मामलों में वांछित है और वर्तमान में यूएई से फरार है और काम कर रहा है।

ईडी की जाँच में पता चला कि अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जैसे कुछ कॉर्पोरेट घरानों ने दिघल, झज्जर स्थित निजी वित्तपोषकों से भारी मात्रा में निजी ऋण लिए और सुरक्षा के तौर पर पोस्टडेटेड चेक जारी किए। जाँच में यह भी पता चला कि इंदरजीत सिंह यादव एक बाहुबली और दलाल के रूप में काम करता था, जिसने विदेशों से संचालित संगठित अपराध सिंडिकेट की मिलीभगत से, धमकियों, डराने-धमकाने और सशस्त्र सहयोगियों/स्थानीय सशस्त्र गिरोहों के इस्तेमाल से, सैकड़ों करोड़ रुपये के इन उच्च-मूल्य वाले निजी ऋण विवादों के जबरन निपटान में मदद की। इंदरजीत सिंह यादव का नाम दिघल के एक फाइनेंसर की हत्या में भी शामिल होने के लिए सामने आया है और कथित तौर पर वह उस मामले में फरार है। अब तक की जाँच में इंदरजीत सिंह यादव के नाम से लगभग **110** करोड़ रुपये से अधिक की अपराध से प्राप्त आगम का पता चला है, जिसका उपयोग बाद में अचल संपत्ति, लग्जरी वाहनों के अधिग्रहण और एक शानदार जीवनशैली के रखरखाव के लिए किया गया, जबकि उसने अपने कर रिटर्न में न्यूनतम आय घोषित की। कई अवसर दिए जाने के बावजूद, इंदरजीत सिंह यादव कथित तौर पर यूएई में रहकर जाँच में शामिल नहीं हुआ है, जिससे कानून की उचित प्रक्रिया से बचा जा रहा है।

इस मामले में इससे पहले, ईडी ने इंदरजीत सिंह यादव और अन्य संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं से संबंधित विभिन्न परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप **6.41** करोड़ रुपये की नकदी, लगभग **17.4** करोड़ रुपये मूल्य के आभूषण, **05** लक्जरी वाहन, कई चेक बुक और लगभग **35** करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज और अन्य अपराध संकेती दस्तावेज और डिजिटल डेटा जब्त किए गए थे।

आगे की जाँच जारी है।